आदेश की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख एवं दिनांक सहित	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	1	

17.03.2023

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या– 11/2022–23

राज्य सरकार

–बनाम–

मे0 जय बजरंगवली स्टोन वर्क्स

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 2220/अप0शा0, दिनांक 14.06.2022 से तालझारी थाना कांड संख्या 76/2021, दिनांक 26.05.2021, धारा–175/379 भा0द0वि0 एवं 04/54 झा0ल0ख0स0नि0–2017 एवं धारा–21(ए)/21(6) झारखण्ड खान एवं खनिज विकास विनियम 1957 में जप्त हाईवा नं0–JH18K-8020 को राजसात को राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद प्रारम्भ करते हुए वाहन मालिक को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा का माँग किया गया।

मामला संक्षिप्त में यह है कि थाना प्रभारी, तालझारी के द्वारा दिनांक 22.05.2021 को समय करीब 10:00 बजे गस्ती के दौरान मौजा–गदवा के तरफ चढ़ाई पर एक हाईवा ट्रक संख्या JH18K-8020का चालक पुलिस वाहन को देख कर भाग गये। वाहन का जाँच करने पर पता चला कि वाहन में अवैध पत्थर लोड है, जिससे संबंधित परिवहन चालान एवं अन्य कागजात वाहन में नहीं मिला।

थाना प्रभारी, तालझारी द्वारा श्री राकेश कुमार, पु0अ0नि0, तालझारी थाना एवं आ0/65 एग्नेसियस, तालझारी थाना के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए हाईवा संख्या JH18K-8020एवं उस पर लोड पत्थर को जप्त कर सुरक्षा के मद्देनजर थाना परिसर में ले जाया गया, जिसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज को भी दिया गया।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 491/एम0, दिनांक 24.05.2021 के द्वारा JH18K-8020 के माध्यम से अवैध पत्थर परिवहन के आरोप में अवैध उत्खनन/भंडारण/परिवहन कार्यों में संलिप्त वाहन के चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया।

थाना प्रभारी, तालझारी द्वारा घटना एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज के निदेश के आलोक में अवैध उत्खनन/भंडारण/परिवहन कार्यों में संलिप्त वाहन के चालक एवं वाहन मालिक को प्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए उनके विरूद्ध तालझारी

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

थाना कांड संख्या 76/21, दिनांक 26.05.2021 धारा–175/379 भा0द0वि0 एवं 04/54 झा0ल0ख0स0नि0–2017 एवं धारा–21(ए)/21(6) झारखण्ड खान एवं खनिज विकास विनियम 1957 दर्ज किया गया।

विपक्षी के द्वारा जप्त हाईवा नं0–JH18K-8020 का स्वामित्व संबंधी दावा प्रस्तुत नहीं किया है और न ही इसे मुक्त करने हेतु किसी के द्वारा पैरवी किया गया है।

अतएव अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तालझारी थाना कांड संख्या 76/2021, दिनांक 26.05.2021 में जप्त हाईवा नं0–JH18K-8020 अवैध उत्खनन एवं परिवहन कार्य में संलिप्त है, जिसे राजसात करना उचित प्रतीत होता है।

Before the National Green Tribunal Principal Bench, New delhi के Original Application No. 23/2017 (EZ), Order dated 15.03.2023 के कंडिका–19 के अनुसार "we note from the above compliance status, presented to the Tribunal, that 112 units do not have height lower than the height of wind breaking walls nor they have constructed road for transportation to control dust pollution, as noted at Sr. No. V and VI. They are reported to be merely using water sprinklers to control dust in the course of transportation, adequacy of which is not been verified nor source of availability of water for water sprinklers ascertained. Level of dust pollution is not ascertained. As shown at Sr. No. X, green belt has not been developed except by 131 units. Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not complying with the directions of covering the transported material for which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs. Only one stone unit has installed PTZ camera and no action has been taken against the violators. Only 35 units have PM_{10} Analyser (Sr. No. XX). Pollution Control Devices have not been installed for which notices have been issued by the State PCB under the Water Act, 1974 and Air Act, 1981 (Sr. No. XXI). Environmental Compensation deposited is said to be less than Rs. 4 crores against levy of Rs. 7 crores compensation. No action has been taken against those who have failed to pay the compensation. The collected amount has not been utilized for restoration measures. Carrying capacity and damage assessment has not been done on the ground that the Expert Institutions are not available and work has now been awarded on 28.01.2023 to Birsa Institute of Technology (Sr. No. XXIII). Comprehensive Environment Management Plan has not been prepared (Sr. No. XXIV). Overloading of vehicles has been found for which fine has been imposed against 167 vehicles"

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
2	

1. माननीय NGT के Observation के आधार पर Original Application No. 23/2017 (EZ) में दिनांक 15.03.2023 को पारित आदेश के कण्डिका–19 के अनुसार Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs.
2. जिला में चल रहे अवैध माईनिंग एवं परिवहन के रोक–थाम हेतु कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

240 डि०पी० 17.05.23

अतः तालझारी थाना कांड संख्या 76/2021, दिनांक 26.05.2021, धारा–175/379 भा0द0वि0 एवं 04/54 झा0ल0ख0स0नि0–2017 एवं धारा–21(ए)/21(6) झारखण्ड खान एवं खनिज विकास विनियम 1957 में जप्त हाईवा नं0–JH18K-8020 को लोड पत्थर खनिज सहित **The Jharkhand Minerals (Prevention ofillegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017** का 11(V) के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश दिया जाता है।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को निदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी, तालझारी के उपस्थिति में हाईवा नं0–JH18K-8020 को लोड पत्थर खनिज सहित नीलामी कर प्राप्त राशि जिला नजारत में जमा करें। पारित आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज, पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज को भेजें। विपक्षी को भी अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

17/3/23
उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

17/3/23
उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.12.19 13:45:21 +05:30
Location: 192.168.29.165